HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Bail Cancellation Application No. 64/2026
CNR: RJHC020375052026 | URN: CRLBC / 87U / 2026

Panchuram Saini S/o Sugaram Saini, Aged About 50 Years, R/o Ward No. 20, Dhani Berawali Ki , Virat Nagar, Police Station Virat Nagar, District Jaipur, Rajasthan. .

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through PP
2. Mahaveer Prasad @ Babulal S/o Late Shri Brijmohan, Aged About 35 Years, R/o Ward No. 20, Berawali Ki Dhani, Virat Nagar, Police Station Virat Nagar, District Jaipur Rural (Rajasthan).

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Ravi Shanker Sharma, Adv. Mr. Pawan Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, P.P. Mr. Harendra Singh Sinsinwar, Adv. Mr. Hemang Singh, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

07/08/2026

पुलिस थाना विराटनगर, जयपुर ग्रामीण की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **108/2021** अपराध अंतर्गत धारा **147, 148, 149, 341, 323, 307** भारतीय दंड संहिता में अभियुक्त **महावीर प्रसाद** को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा एस बी क्रिमिनल मिस. फोर्थ बेल एप्लीकेशन नंबर 4986/2024 में दिनांक **17.05.2024** को जमानत की सुविधा दी गयी थी, जिसे निरस्त कराने हेतु आहत/परिवादी की ओर से यह जमानत निरस्तीकरण का आवेदन प्रस्तुत हुआ है।

विद्वान अधिवक्ता परिवादी का कथन रहा कि आहत सावत्री का` हाथ का पूरा पंजा कटकर अलग हो चुका था, आहत प्रेम की हाथ की अंगुली तथा निर्मला का ब्रेस्ट कट गया था, उपरोक्त गंभीर चोटों का तथ्य होने के बावजूद अभियुक्त पक्ष की ओर से इन चोटों को साधारण होना बताकर दिनांक 17.05.2024 के आदेश के माध्यम से जमानत की सुविधा प्राप्त की गयी। जमानत सुविधा प्राप्त होने के बाद अभियुक्त पक्ष द्वारा परिवादी के साथ पुनः मारपीट की गयी जिसके संबंध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है। अभियुक्त पक्ष द्वारा निर्मला के बयानों को फैसबुक पर वायरल किया गया है। इस प्रकार जमानत की सुविधा का दुरूपयोग किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने उपरोक्त तर्कों का विरोध किया तथा निवेदन किया कि दिनांक 17.05.2026 का आदेश चिकित्सक के बयानों व अन्य सामग्री को देखने के उपरांत समकक्ष पीठ द्वारा पारित किया गया है। पश्चात्वर्ती विवाद की जो घटना बताई गई है, उसमें दोनों पक्षों को शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया है, वर्तमान में विचारण काफी आगे बढ़ चुका है। अभियुक्त पक्ष द्वारा किसी भी रूप में जमानत की शर्तों का दुरुपयोग नहीं किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस आदेश से परिवादी पक्ष व्यथित थे, तो वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उपचार प्राप्त कर सकते थे। अंत में जमानत निरस्तीकरण का आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने विधिनुसार आदेश पारित किए जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों के तर्को एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

दिनांक 17.05.2024 के आदेश से स्पष्ट है कि सभी आहतगण की चोटों का आदेश में खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद चिकित्सक के बयानों, अन्य सामग्री तथा अभियुक्तगण के तीन वर्ष की अभिरक्षा अवधि आदि को दृष्टिगत रखते हुए सकारण आदेश पारित करते हुए अभियुक्त को जमानत

सुविधा दी गई है। पश्चात्वर्ती मारपीट की कोई घटना घटित हुई है, तो उसके लिए पृथक से मामला विचाराधीन है। जमानत का आदेश दिनांक 17.05.2024 का है, जिसे दो वर्ष से अधिक समय हो चुका है, अतः जमानत सुविधा निरस्त करने हेतु जो आधार बताये गये हैं, वे इस स्टेज पर स्वीकार्य नहीं होने से यह जमानत निरस्तीकरण का आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

परिणामतः परिवादी की ओर से धारा 483(3) बी.एन.एस.एस. के तहत प्रस्तुत यह जमानत निरस्तीकरण का आवेदन खारिज किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

21/Murari Lal Sharma